विधान सभा प्रश्न

विभाग का नामः जल शक्ति विभाग

प्रश्न संख्या तारांकितः 5106

उत्तर की तिथिः 11—03—2022

विषयः नकेड़ खड्ड की चैनेलाईजेशन

प्रश्नकर्त्ता का नामः श्री रमेश चन्द ध्वाला (ज्वालामुखी)

सम्बन्धित मन्त्री जल शक्ति मन्त्री

प्रश्नः	उत्तरः
क्या जल शक्ति मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे किः— (क) यह सत्य है कि ज्वालामुखी में नकेड़ खड्ड की तटीकरण के अन्तर्गत सौर कलां से धवाला तक नकेड़ खड्ड की तटीकरण करने का प्रावधान किया गया है;	(क) (ख) व (ग) सूचना सभा पटल पर रख दी गई है।
(ख) सरकार द्वारा इस कार्य के लिए कब व कितनी धनराशि स्वीकृत की गई; ब्यौरा दें; और	
(ग) इस कार्य हेतु निविदाएं कब आमंत्रित व आबंटित की गई व इसकी अद्यतन स्थिति क्या है; ब्यौरा दें?	

तारांकित विधान सभा प्रश्न संख्या 5106, जोकि श्री रमेश चन्द ध्वाला (ज्वालामुखी) द्वारा पूछा गया है, से सम्बन्धित सूचना।

(क) जी हाँ।

ज्वालामुखी विधान सभा क्षेत्र में सौर कलां से धवाला तक नकेड़ खड्ड के तटीकरण करने का प्रावधान किया गया है।

(ख) इस कार्य के तटीकरण हेतु प्रशासनिक अनुमोदन एवं व्यय स्वीकृति सरकार द्वारा दिनांक 05.01.2021 को कुल 231.02 करोड़ रूपये की प्रदान की गई है तथा तकनीकी स्वीकृति प्रमुख अभियन्ता (परियोजना) जल शक्ति विभाग, मण्डी द्वारा दिनांक 23.01.2021 को कुल 225.41 करोड़ की दे दी गई है। इस योजना को केन्द्रीय जल आयोग द्वारा राष्ट्रीय आधारभूत संरचना के अन्तर्गत (NIP) परियोजना में भी शामिल किया गया है जिसके तहत प्रदेश सरकार द्वारा इस योजना को भी वित्तपोषण हेतु दिनांक 18–10–2021 को केन्द्रीय जल आयोग भारत सरकार को प्रेषित किया गया है।

(ग) इस कार्य की निविदाएं आमंत्रित नहीं की गई है भारत सरकार द्वारा धन उपलब्ध करवाने के बाद औपचारिकताएं पूर्ण करने पर निविदाएं आमंत्रित की जायेगी।